



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8965

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19480 सन् 2025

विजेंद्र सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

रामेंद्र कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेंद्र कुमार शुक्ला ने दिनांक 09.12.2020 के नियमितीकरण आदेश को रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका को वापस लेने और नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता का अनुरोध किया है, क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका विधिवत गठित नहीं की गई है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में रखे गए हैं और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

याचिका की एक प्रति रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।